



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112025-267871
CG-DL-E-20112025-267871

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5132]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2025/कार्तिक 29, 1947

No. 5132]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025/KARTIKA 29, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

का.आ. 5303(अ).— श्री सुब्रत दत्ता, टीसीएस ग्रेड-I, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, त्रिपुरा सरकार, भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय, त्रिपुरा, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) के सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों से मुक्त करने पर और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा), भारत सरकार एतद्वारा, श्री सुभाष चंद्र साहा, टीसीएस एसएसजी, निदेशक, भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण - त्रिपुरा, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) के लिए त्रिपुरा राज्य में पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

यह अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014-14-2023-जीपी-II, ई:46938]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th November, 2025

S.O. 5303(E).—Upon relieving of Shri Subrata Dutta, TCS Gr-I, Joint Secretary, Revenue Department, Govt. of Tripura, from the duties of the Competent Authority, Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) in the state of Tripura and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Rights of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Subhash Ch. Saha, TCS SSG, Director, Land Records & Settlement, Tripura, to perform the functions of Competent Authority, Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) in the state of Tripura under the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014-14-2023-GP-II, E:46938]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.